**WTO Negotiations**

1461. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKER MUKHERJEE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in World Trade Organisation negoti ations of Financial Services and Insurance settlement could not be reached mainly because many of the industrial countries apart from the third world countries did not agree to open up their Insurance Industry and negotiaitons have been post poned to the year 2000; and

(b) if so, the reasons for Government to open up its Insurance market unilater ally denying itself an important bargain ing chip?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Negotiations on Financial Services were concluded in December, 1997 in World Trade Organisation when many countries made varying level of commitments in different areas of Financial Services including Insurance. Apart from India, three other countries namely, Myanmar, North Korea and Cuba have not opened up their Insurance sector. Year 2000 negotiations are in-built in the General Agreement on Trade and Services and will be held in all services sectors including financial services.

**Target set out for Disinvestment**

1462. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the targets set out by Government for disinvestment in shares of public sector undertakings have become a mirage;

(b) if so, the details of targets and achievements as on date; and

(c) the details of steps taken or prop osed to be taken to attain the targets?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The targets set for disinvestment and actual realisation so far are as follows:—

| Year | Target (Rs. in crores) | Realisation (Rs. in crores) |
|---|---|---|
| 1991-92 | 2,500 | 3038 |
| 1992-93 | 2,500 | 1913 |
| 1993-94 | 3,500 | Nil |
| 1994-95 | 4,000 | 4843 |
| 1995-96 | 7,000 | 362 |
| 1996-97 | 5,000 | 380 |
| 1997-98 | 4,800 | 902 |
| 1998-99 (Till 20.2.99) | 5,000 | 1200 (approx) |

(c) The target of Rs. 5,000 crores set for the current year is likely to be achieved by the end of March, 1999.

**औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गये मामलों पर विचार करने में देरी**

1463 **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)पिछले दो वर्षोंए के दौरान रूग्ण घोषित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी हैं और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास विचारार्थ भेजे गये ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख)इन मामलों पर विचार करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग)अत्याधिक देरी को टालने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने हैं?

**वित्त मंत्रालय ( बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा ) में राज्य मंत्री ( श्री कादम्बूर एन0आर0 जनार्दनन )** : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ( बाइफर ) ने सूचित किया हैं कि पिछले दो वर्षों ( दिनांक 1.1.1997 से 31.12.1998 तक ) के दौरान रूग्ण औद्योगिक कंपनी ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1985 ( सीका ) के प्रावधानों के तहत बाइफर में सरकारी क्षेत्र 16 रूग्ण उपक्रम 8 केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पंजीकृत थे। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ( **नीचे देखिए** )

((ख) और (ग) बाइफर में पंजीकृत मामलों पर सीका के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता हैं और जहो कहीं व्यवहार्य हों, पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं। मामलों के निपटान में विलम्ब कई कारणों से होता हैं, जैसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विचारों को

अन्तिम रूप देने में विलम्ब, बाइफर आदेशों के विरूद्ध अपील एवं रिट दायर करना और वर्ष 1996 से बाइफर में कर्मचारियों की संख्या कम किया जाना। सरकार औद्योगिक रूग्णता से निपटने को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीका की पुनरीक्षा कर रही हैं।

**विवरण**

**ओद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों की सूची**

**( लाख रूपए )**

| क्र0 सं0 | राज्य | कम्पनी | आदेश की तारीख | निवल आस्ति | संचित हानि | कर्मचारी स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्र | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | प्रागा टूल्स लि0 | 1570 | 9067 | 1521 | जांच के अधीन |
| 2. | मध्य प्रदेश | नेपा लि0 | 7124 | 9415 | 15447 | जांच के अधीन |
| 3. | महाराष्ट्र | हिन्दुस्तान एर्टिबायोटिकलि0 | 4165 | 8317 | 2276 | जांच के अधीन |
| 4. | मनिपुर | मनिपुर स्टेट ड्रग्स एंड 17.11.97 फर्मास्युटिकल्स | 85 | 118 | 50 | जांच के अधीन |
| 5. | त्रिपुरा | नार्थ ईस्टर्न रीजनल मार्केटिंग कार्पो लि0 | 269 | 1274 | 87 | जांच के अधीन |
| 6. | उत्तर प्रदेश | भारत इम्यून्धोलाजिकल 2.4.97 एंड बायोलाजिकल कार्पो0<br>भारतु इम्यून्योलाजिकल कार्पोरेशन | 189<br>2165 | 531<br>2166 | 77<br>100 | रखने योग्य नहीं<br>जांच के अधीन |
| 7. | पश्चिम बंगाल | ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि0 1.6.98 | 104831 | 118671 | 132787 | बंद किया गया (एन/डब्ल्यू( +) |
| | | योग | 120398 | 149559 | 138445 | |

| राज्य | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. गोवा | गोवा एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि0 | 15.7.98 | 155 | 233 | 86 योजना मंजूर |
| 2. कर्नाटक | कर्नाटक टेलिकाम लि0 | 25.1.99 | 326 | 886 | 139 परिसमापन की सिफारिश |
| 3. महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य तेलहन कामर्शियल | | 0 | 0 | 160 जांच के अधीन |

| क्र0 सं0 | राज्य | कम्पनी | आदेश ककी तारीख | निवल आस्ति | संचित हानि | कर्मचारी स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मेघालय | नागलैंड पेपर एंड बल्प कम्पनी लि0 | 12020 | 138766 | 575 | जांच के अधीन |
| 5. | उड़ीसा | इडकोल पाइंपिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लि0 | 700 | 4246 | 79 | जांच के अधीन |
| | | इडकोल सीमेंट लि0 | 8850 | 13654 | 1025 | |
| 6. | पंजाब | इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम पंजाब लि0 | 213 | 2376 | 361 | जांच के अधीन |
| 7. | उत्तर प्रदेश | छाता सुगर कम्प0लि0 | 609 | 1517 | 682 | जांच के अधीन |
| | | योग | 22873 | | 36788 | 3107 |

**रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लिये गये ऋण**

1464. **श्री ईश दत्त यादव** :

**चौधरी हरमोहन सिंह यादव** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि बैंक/वित्तीय संस्थान एक नीतिगत मामले के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के सामान्य शेयरों में निवेश करते हैं या नहीं ऋण उपलब्ध कराते हैं;

(ख)यदि हां, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप की सभी कंपनियों में ऋणों और सामान्य शेयरों के रूप में कुल कितना निवेश कियश गया हैं;

(ग)रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेउ ग्रुप की कंपनियों द्वारा समय-समय पर लिये गये तात्कालिक ऋण की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(घ)क्या सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया हैं: और

(ड.)यदि नहीं, तो ऐसे ऋणों का भुगतान न की गई राशि की संस्था-वार/बैंक-वार स्थिति क्या है;

वित्त मंत्रालय ( बैंकिंग राजस्व तथा बीमा ) में राज्य मंत्री ( श्री कादम्बूर एम0आर जर्नादनन ) : (क) जी, हां।

(ख)भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( आई डी बी आई ) ने सूचित किया हैं कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई 5430 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता रिलायंस ग्रुप कंपनियों के पास बकाया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि उन्होंने बैंकों द्वारा नियमित प्रतिष्ठानों को मंजूर की गई ऋण सुविधाओं से संम्बन्धित आंकड़ें एकत्र करना छोड़ दिया हैं।

(ग) से (ड.) रिलायंस ग्रुप के पास वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कोई तात्कालिक त्रण बकाया नहीं हैं।

**Rate of interest charged from priority sector debtors**

1465. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of savings in the Saving Bank Accounts with different Nationalised Banks, Post Offices,